न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मु0 संख्या :– 36 / 2020 **RCMS NO- 2020/00015**

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	**बनाम**	1. श्री शम्भुराम माली पुत्र केशराराम माली उम्र 35 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम मोहनगढ जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स रतन जनरल स्टोर मैन मार्केट, मोहनगढ जिला जैसलमेर 3. अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा, जैसलमेर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री शम्भुराम माली ।
3. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री अनिल जेठा।

:: **निर्णय** :: दिनांकः 04.01.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.10.2018 को 11:00 एएम पर मैसर्स रतन जनरल स्टोर मैन मार्केट, मोहनगढ जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स रतन जनरल स्टोर मैन मार्केट, मोहनगढ जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री शम्भुराम माली पुत्र केशराराम माली कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में खादय पदार्थ हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड के 1–1 लीटर खादय पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात खादय पदार्थ हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड के 1–1 लीटर नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 1400 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद खादय पदार्थ हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड के चार नमूने लिये प्रत्येक को प्लास्टिक बोतल पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं क्रमांक नम्बर एन–907 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–907 खादय पदार्थ हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं के द्वारा दिनांक 31.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 29.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/4590–93 दिनांक 28.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./834/Act/2018/853 दिनांक 29.11.2018 अनुसार उक्त नमूना अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) व मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन–907/3951–53 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री शम्भुराम माली पुत्र केशराराम माली उम्र 35 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम मोहनगढ जिला जैसलमेर 2. मैसर्स रतन जनरल स्टोर मैन मार्केट, मोहनगढ जिला जैसलमेर 3. अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा, जैसलमेर जिला जैसलमेर ने अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) व मिथ्याछाप खादय पदार्थ हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से दिनांक 27.11.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया है कि दुकान मैसर्स रतन जनरल स्टोर मैन मार्केट, मोहनगढ जिला जैसलमेर मे दिनांक 29.10.2018 को निरीक्षण किया गया जो निर्मित सामग्री मैसर्स अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा, जैसलमेर द्वारा खरीदा गया है जिसमें हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड का खादय पदार्थ का सेम्पल लिया गया जो सबस्टैण्डर्ड व मिथ्याछाप पाया गया है। जो मेरे द्वारा मैसर्स अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा, जैसलमेर द्वारा खरीदा गया है। जिसका कच्चा बिल संलग्न है। सेम्पल का हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड का खादय पदार्थ का है। जो सबस्टैण्डर्ड व मिथ्याछाप पाया गया है। निर्मित सामग्री मैसर्स अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा, जैसलमेर से निर्मित है। जो निर्मित सामग्री में मेरे द्वारा कोई भी हैर फैर नही किया गया है। भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से दिनांक 27.11.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया है कि दुकान मैसर्स रतन जनरल स्टोर मैन मार्केट, मोहनगढ जिला जैसलमेर मे दिनांक 29.10.2018 को निरीक्षण किया गया जो निर्मित सामग्री मैसर्स अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा, जैसलमेर द्वारा खरीदा किया होना बताया गया है जो प्रार्थी द्वारा J.K. Oil Industries, MFRS. Of Edible oil Cake KH. No. 93/4 road No.-1, South Mundka, Industrial Area, Mundka New Delhi खरीद किया गया है। जिसमें हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड का खादय पदार्थ का सेम्पल लिया गया जो सबस्टैण्डर्ड व मिथ्याछाप पाया गया है। जो मेरे द्वारा J.K. Oil Industries, MFRS. Of Edible oil Cake KH. No. 93/4 road No.-1, South Mundka, Industrial Area, Mundka New Delhi द्वारा खरीदा गया है। जिसका कच्चा बिल संलग्न है। सेम्पल का हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड का खादय पदार्थ का है। जो सबस्टैण्डर्ड व मिथ्याछाप पाया गया है। निर्मित सामग्री J.K. Oil Industries, MFRS. Of Edible oil Cake KH. No. 93/4 road No.-1, South Mundka, Industrial Area, Mundka New Delhi से निर्मित है। जो निर्मित सामग्री में मेरे द्वारा कोई भी हैर फैर नही किया गया है। भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./834/Act/2018/853 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार खादय पदार्थ हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड का उक्त नमूना अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) व मिथ्याछाप पाया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) व मिथ्याछाप स्तर के खादय पदार्थ हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड का विक्रय करने के

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री शम्भुराम माली जो मैसर्स रतन जनरल स्टोर मैन मार्केट, मोहनगढ जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर व अप्रार्थी संख्या 03 श्री अनिल जेठा जो मैसर्स अनिल एजेन्सी डिब्बा पाडा, जैसलमेर जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) व मिथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल गुड लाईट ब्राण्ड खादय पदार्थ विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये व अप्रार्थी संख्या 03 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 व 03 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर